राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी–3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर–302013)
(टैलीफैक्स–0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांकः–प.1ग( )का / एसएमई–I / डी.एल.बी. / 2023 / 2908 दिनांकः 17/07/2023

–:आदेश:–

राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एंव मंत्रालयिक) सेवा नियम–1963 के नियम 22 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निकाय में सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

S. NO	M. NO	ROLL NO.	NAME	FATHER'S NAME	CAT	DOB	SELECT CAT	PROPOSED POSTING
1	1	305482	TAPENDRA SINGH RAJAWAT	BHIM SINGH RAJAWAT	GEN	17-APR-1995	GEN	JAIPUR GREATER
2	2	300271	JAI KUMAR JANGID	PANCHU LAL JANGID	OBC	08-DEC-1995	GEN	CHOMU
3	3	302380	MADAN LAL BARWAR	JAY RAM BARWAR	SC	05-AUG-1996	GEN	FATEHPUR
4	6	303695	JAGDEEP KUMAR	SANT RAM	OBC	08-JUL-1986	GEN	ALWAR
5	7	304547	SURENDRA KUMAR MEENA	RAMKARAN MEENA	ST	08-JUL-1996	GEN	AJMER
6	10	305611	NAVDEEP SINGH BAGGA	MANJEET SINGH BAGGA	GEN	19-APR-1992	GEN	UDAIPUR
7	11	305062	KULDEEP MANTWAL	SHIVDAN MEENA	ST	15-FEB-1996	ST	DAUSA
8	12	305120	DINESH SAINI	MAHAVEER PRASAD SAINI	OBC	10-MAY-1997	OBC	FATEHPUR
9	14	300668	KANWAR PAL SINGH	SOHAN SINGH	GEN-EWS	03-AUG-1995	GEN-EWS	NAWALGARH
10	18	304982	RAJENDRA KUMAR MEENA	LAXMI NARAYAN MEENA	ST	07-JUL-1988	ST	NEWAI
11	19	301291	KRISHAN KANT MEENA	RAMNIVAS MEENA	ST	10-MAR-1998	ST	SAWAI MADHOPUR
12	24	303507	MANJU CHOUDHARY	SUKHA RAM CHOUDHARY	OBC	13-OCT-1984	GEN	BEAWAR
13	39	303400	JHALAM SINGH	HEER SINGH	GEN-EWS	07-NOV-1992	GEN-EWS	ABU ROAD
14	47	300900	AMRENDER SINGH	DARSHAN SINGH	SC	09-JUL-1987	SC	RAISINGH NAGAR
15	57	306718	SOBIYA SAYYED	ASHFAQ ALI	OBC	26-NOV-1991	GEN	JAIPUR GREATER
16	71	305792	ROSHAN KUMAR	SURESH KUMAR GODWAL	SC	27-SEP-1996	SC	CHAKSU
17	81	302510	SONU KANWAR	CHATAR DAN SINGH	OBC	09-MAR-1993	OBC	SIKAR
18	153	303362	BARKHA SARSAR	BALJEET SINGH SARSAR	SC	03-MAR-1992	SC	BHIWADI
19	180	306522	SITA CHOPDAR	SHIV CHOPDAR	GEN	25-JAN-1984	GEN	KOTA NORTH
				अनुसूचित क्षेत्र				
1	85	305298	DEEPANKAR KATARA	GAUTAM LAL KATARA	ST	27-SEP-1991	GEN	KUSHALGARH
2	89	300551	PUNIT VAISHNAV	JAGDISH VAISHNAV	OBC	06-MAR-1997	GEN	BANSAWARA

अतः उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित नगर निकायों में नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन रहेगी:

अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबधी प्राथमिक जांच कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावें। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।

2. चयनित अभ्यर्थियों की यह सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. इस आदेश के अधीन संबधित निकाय द्वारा अस्थायी (Provisional) नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे जिसकी पालना में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा विवाह प्रमाण–पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् 2 से अधिक संतान नहीं होने, दहेज नहीं लेने/नहीं देने व धूम्रपान, गुटखा व तम्बाकू का सेवन नहीं करने का नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र व बन्ध पत्र, 100/– रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. उक्त नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता के अध्यधीन होगी। पुलिस–सत्यापन में नियमानुसार नियुक्ति हेतु प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर अथवा/और चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता नहीं पाए जाने पर नियमानुसार संबधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश संबंधित निकाय द्वारा बिना सूचना के निरस्त किये जा सकेंगें।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रांक एफ.10(5)डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अटेस्टेशन फॉर्म एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का प्रमाणिक आधार नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि **"यदि कभी उक्त प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।"**
7. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा 01 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
8. नगर निकायों को आवंटित चयनित सहायक अग्निशमन अधिकारी पद के अभ्यर्थी, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज एवं लिखित आवेदन सहित उपस्थित होंगें जिसको संबधित निकाय द्वारा रिकोर्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात् इस आदेश के अन्तर्गत सहायक अग्निशमन अधिकारी पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।
9. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)वित्त/नियम/2017/दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 (शिड्यूल IV) के अनुसार दो वर्ष परीवीक्षाकाल अवधि में रूपये **18500/–** प्रतिमाह फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
10. यह आदेश कोई के सम्बन्धित रिकोर्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि (यदि कोई हो तो) को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
11. उपरोक्त पदों से होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः–प.1ग( )का/एसएमई–I/डी.एल.बी./2023/2909–3014 **दिनांकः** 17/07/2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महादेय, राजस्थान, जयपुर।

2. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग व न.वि.विभाग, राज0, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. अध्यक्ष / सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. सचिव, राज्य स्तरीय नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा, चयन आयोग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर,...।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला...।
8. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला..।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10. महापौर / सभापति / आयुक्त, नगर निगम / परिषद् / पालिका...।
11. संबंधित श्री / श्रीमती..। (जरिये रजिस्टर्ड)
12. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपनिदेशक (प्रशासन)